वक्फ इदारा यतीम खाना शाहजहाँनी वाके मुत्तासिल जहॉगीरिया भोपाल।

सी.सी.टी.वी. केमरा व्यवस्था निविदा क्रमांक 04

	संख्या	रेट
सी.सी.टी.वी. केमरा	32 अदद	रू /–

वक्फ इदारा यतीम खाना शाहजहानी वाके मुत्तसिल जहॉगीरिया भोपाल में लगने वाले वार्षिक इज़्तेमा बाजार 2026–27 में **सी.सी.टी.वी. केमरा** हेतु उपरोक्त दिये हुए तालिका अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं।

1. इज्तिमा बाज़ार 2026–27 में 32 अदद सी.सी.टी.वी. केमरे चालू हालत में स्थापित करेंगे।
2. केमरे से संबंधित केबल एवं डी.वी.आर. एवं अन्य सामग्री निविदाकर्ता द्वारा लगाई जाएगी।
3. इज्तिमा बाजार में संपूर्ण मार्केट को कवर करते हुए केमरे लगाए जाऐंगे।
4. केमरों के संचालन एवं उसका मेंटेनेंस निविदाकार द्वारा किया जाएगा।
5. केमरे 24 घण्टे चालू हालत में रहेंगे तथा एक माह की रिकार्डिंग बेकअप रखना अनिवार्य होगा।
6. कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर संपूर्ण रिकार्डिंग निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
7. सी.सी.टी.वी. केमरा दिनांक 07.12.2026 से 06.02.2027 तक स्थापित किये जाऐंगे।
8. सी.सी.टी.वी. केमरा सिस्टम संचालन के लिए इज्तिमा बाजार में उपलब्ध बिजली व्यवस्थापक से सशुल्क कनेक्शन लेना होगा।
9. निविदाकार रू 50000/– (पचास हजार) डी.डी. द्वारा सुरक्षा निधि के तौर पर टेण्डर के साथ जमा करनी होगी।
10. सी.सी.टी.वी. केमरे एवं केबल या डी.वी.आर. में किसी भी प्रकार की टूट–फूट की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
11. टेण्डर (लिफाफा बंद) साथ में लाएंगे, टेण्डर निविदाकारों के सामने ही खोले जाएंगे।
12. सफल निविदाकार द्वारा समय पर सी.सी.टी.वी. केमरा सिस्टम स्थापित नहीं किया जाता अथवा उसके संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो धरोहर राशि जब्त कर टेण्डर निरस्त कर दिया जाएगा।
13. कार्यालय को यह इख्तियार रहेगा कि बिना कोई वजह बताए यह टेंडर निरस्त कर दे या किसी टेंडर को स्वीकार कर लें। हर स्थिति में कार्यालय का फैसला आखरी होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल